फैक्स
स्पीड पोस्ट

पत्र संख्याः–ओ0/विविध–01/2016–................/

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषकः

चन्द्रशेखर सिंह
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज

पटना, दिनांक– , 2016

विषयः– **गोपालगंज जिले में दिनांक–16.08.2016 एवं 17.08.2016 को जहरीली शराब के सेवन की घटना के मृतकों के आश्रितों को कुल राशि ₹64,00,000/– (चौसठ लाख, 16 मृतक @ 4.00 लाख) मात्र अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा भुगतान का आदेश/राज्यादेश संख्या–8704 दिनांक–15.09.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष–2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या–22, उप शीर्ष–0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड–N2235602000011, विषय शीर्ष–3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में उपबंधित राशि से कुल ₹64,00,000/– (चौंसठ लाख रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. **उक्त घटना के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को निम्नवत राशि आवंटित की जाती हैः–**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को पूर्व में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को वर्त्तमान में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को कुल में आवंटित राशि।
₹25,000/– (पच्चीस हजार)	₹64,00,000/– (चौंसठ लाख)	₹64,25,000/– (चौंसठ लाख पच्चीस हजार)

3. उक्त आवंटित राशि **₹64,00,000/– (चौंसठ लाख रूपये)** मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप–मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रय मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड–N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा यथा विषयांकित मामले में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध करायी जा रही है।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान मृतकों के आश्रितों की समुचित पहचान कर की गई है।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, गोपालगंज होंगे।

6. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, गोपालगंज से की जायगी।

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की होगी।

क्रमशः.........

8. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मृतकों के आश्रितों को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।
9. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मात्र उक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(चन्द्रशेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-... पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-... पटना, दिनांक- , 2016

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण, प्रमंडल, सारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-... पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना, उप सचिव, प्रशाखा ''ए0'', गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- ......10793.................................../ पटना, दिनांक-...........18/11/, 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

18/11/2016

सरकार के अपर सचिव